

14/7/12

पत्रावली का न राजस्व केंद्र कोर्ट चौधन
में पेश हुई। वकील उषा वादी
वकील ने भावोपमा के नहीं चलाने का
हिदायत दी। अतः उषा के उषा
पत्र आगामी कर्मवाही वही स्तर पर
समाप्त की जाती है। पत्रावली फिलहाल
शुभार होकर दाखिल इफ्तार हो।

सहायक कलेक्टर
(SDO) बाहदन

No Accounts
Munaf
करी कसीम